

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 386 / III(1)-संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण(5वर्ष)-14

दिनांक 19 जनवरी, 2015

- 1- मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।
- 2- समस्त सहायक महाप्रबन्धक(डिपो)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

विषय:- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 30-12-2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30-12-2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त हुए कार्मिकों के विनियमितीकरण विषयक।

उपर्युक्त विषयक आपके स्तर से दिनांक 30-12-2008 एवं इससे पूर्व संविदा कार्मिक, दैनिक वेतन के रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण के प्रस्ताव डिपो की समिति की संस्तुति एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) की संस्तुति के साथ निगम मुख्यालय प्रेषित किये गये। मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त डिपो/मण्डलीय प्रबन्धक की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये निम्नवत् निर्णय लिये गये है:-

- 1- संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली-2013 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेंगे।
- 2- उपरोक्त क्र0सं0-1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये हैं अथवा दाखिल किये जायेंगे वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरुद्ध अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिकों द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित (तिथि के साथ) किये जायें।
- 3- विनियमितीकरण किये जाने वाले सभी संविदा/दैनिक वेतन कार्मिकों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा किसी न्यायालय में संविदा/दैनिक वेतन नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित संविदा/दैनिक वेतन कार्मिकों उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होंगे।
- 4- जिन संविदा चालकों/परिचालकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में प्रचलित नियमावली अन्तर्गत निम्न अर्हतायें अवश्य देख ली जायें तथा नियमानुसार मण्डलीय चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।

चालक पद हेतु-

(क)- अभ्यर्थी को कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

